



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/13/2022-490

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 30/04/2025

विषय- श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या-02, प्लॉट संख्या-647, थाना संख्या-703, थाना-गुरुआ में गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक पत्र दिनांक 14.02.2025

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 11.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक पत्र दिनांक 14.02.2025 में निहित कंडिका	अनुपालन
i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
ii.	With regard to raising compensatory afforestation, the cost of plantation 100 tree	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,97,311.00 (आठ लाख सनतानवे हजार तीन सौ ग्यारह रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.-1506270152066510, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 24.03.2025 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IOBAR5202503240 0634454 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

iii.	The matter regarding imposition of Penal CA is under consideration for the formulation of a uniform policy guideline in the	प्रयोक्ता एजेंसी के सूचित किया गया है कि Penal CA की मांग किये जाने पर उनके द्वारा कैम्पा फंड में राशि जमा कराया जायेगा।
iv.	The State Government shall realize the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.015 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 14,367/- (चौदह हजार तीन सौ सड़सठ रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.-1506270152066510, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 24.03.2025 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IOBAR52025032400634454 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
v.	The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual	Penal NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कुल रु० 16,091/- (सोलह हजार इक्यानबे रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.-1506270152066510, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 24.03.2025 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IOBAR52025032400634454 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
vi.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
vii.	All the funds received from the user agency under the proposal shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (https://parivesh.nic.in/). Amount	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा क्षेत्रीय वनरोपण, NPV एवं Penal NPV की राशि RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.03.2025 को जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
viii.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area	इस शर्त का अनुपालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
ix.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
x.	Overburden shall not be dumped outside the width of the road. The muck generated in the earth	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xi.	The user agency will provide retaining walls, breast walls	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xii.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted along with the Stage-I compliance report;	योजना का कार्य स्थल समतल है। समतल भूमि के कारण स्थल पर SMC कार्य की आवश्यकता नहीं है।

xiii.	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xiv.	The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/rivers/canals should be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xv.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xvi.	The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xvii.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xviii.	The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xix.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xx.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxi.	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार के पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान में बदलाव नहीं किया जायेगा।
xxii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxiii.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxiv.	The User Agency shall implement the R & R Plan, if applicable, as per the R & R Policy	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxv.	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxvi.	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxvii.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
xxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinivam 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

xxix.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा Compliance report को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
-------	--	--

साथ ही जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.015 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/13/2022- 490

दिनांक- 30/04/2025

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया एवं श्री अजीत कुमार, पिता-श्री किशोर यादव, मौजा-समदा, थानार-गुरुआ, जिला-गया, पिन-824231 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Gaya/ Gaya Forest Division, Gaya.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Ajit Kumar/ NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01875 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	14.02.2025				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	8,97,311/-				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	14,367/-				
	h. Penal NPV	16,091/-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
1		e- challan	IOBAR5202503240 0634454 dated 24.03.2025	8,97,311/-	CA	
2				14,367/-	NPV	
3				16,091/-	Penal NPV	
Total-			9,27,769/-			
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above sent to Union Bank of India on dt. 24.03.2025				
12	Any other remarks					

(Surendra Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-

सेवा में,

101

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 11/4/2025

विषय— श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या-02, प्लॉट संख्या-647, थाना संख्या-703, थाना-गुरुआ में गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/13/2022-280 दिनांक 05.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/152066/2022, दिनांक 14.02.2025 द्वारा Stage-I की स्वीकृति (i से xxix शर्तों) प्रदान की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,97,311/— मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.03.2025 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IOBAR52025032400634454 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. Penal CA का मांग पत्र उपलब्ध कराये जाने पर मेरे द्वारा कैम्पा फंड में राशि जमा कराया जायेगा।
4. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.015 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 14,367/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.03.2025 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IOBAR52025032400634454 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
5. Penal NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.015 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये आपके पत्रांक 280 दिनांक 05.03.2025 द्वारा मांग की गयी ब्याज सहित कुल रु० 16,091/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 24.03.2025 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. IOBAR52025032400634454 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
6. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करूंगा

7. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंडे ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 24.03.2025 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
8. इन शर्तों का अनुपालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जाना है।
- 9 एवं 10 इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
11. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. इन शर्तों के अधीन मांग पत्र उपलब्ध कराये जाने पर मेरे द्वारा राशि कैम्पा फंड में जमा कराया जायेगा।
13. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
14. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
15. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
16. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
17. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
18. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
19. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
20. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
21. मेरे द्वारा बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान में बदलाव नहीं किया जायेगा।
22. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
23. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
24. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
25. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
26. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
27. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
28. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
29. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है एवं मेरे द्वारा Compliance report को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन,
Ajit Kumar
अजीत कुमार,
पिता—श्री किशोरी यादव
मौजा—समदा, थाना—गुरुआ
जिला—गया 824231

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-03-2025

Agency Name.	AJIT KUMAR
Application No.	70152066510
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/152066/2022
Location.	BIHAR
Address.	Ajit Kumar So Kishori Yadav Add Mauza Samda PS Gurua GayaGaya
Amount(in Rs)	927769/-

Amount in Words :Nine Lakh Twenty-Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270152066510 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-03-2025

Agency Name.	AJIT KUMAR
Application No.	70152066510
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/152066/2022
Location.	BIHAR
Address:	Ajit Kumar So Kishori Yadav Add Mauza Samda PS Gurua Gaya Gaya
Amount(in Rs)	927769/-

Amount in Words :Nine Lakh Twenty-Seven Thousand Seven Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270152066510 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

UTR NO:- 50BAR52025032400634454 dt. 24/03/2025



21

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या...151/मु/रा... दिनांक...09.12.2022....

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 1720 दिनांक 13.04.2022 द्वारा गया जिला अन्तर्गत
अंचल-गुरुआ के मौजा-समदा में थाना-गुरुआ, थाना सं०-703, खाता सं०-2, प्लॉट सं०-647 में
गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel pvt ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु
0.015 हेक्टेयर वन भूमि पर अपयोजन (Diversion) के क्रम अनुशंसा किया गया है।

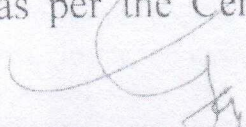
अनुमण्डल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया का पत्र सं 273/सा० दिनांक 30.11.2022 द्वारा
प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में अंचल-गुरुआ के मौजा-समदा में
थाना-गुरुआ, थाना सं०-703, खाता सं०-2, प्लॉट सं०-647 में गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100
Pacific Biofuel pvt ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.015 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्ष
2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित
रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित
वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित
किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी
गया।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation
which was notified as "forest" less than 75 years prior to the
13th day of December 2005 and is located in villages having no
recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-
2001 and Census-2011.


District Magistrate
Gaya